


85

DR/सतना/2017/4803

310

न्यायालय श्रीमान् सदस्य राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर सर्किट कैम्प रीवा म0प्र0



सुशीलचन्द्र मिश्रा तनय स्व0 चन्द्रभान प्रसाद मिश्रा उम्र 72 वर्ष पेशा खेती निवासी

R/30/-

ग्राम डोमा, पोस्ट कच्छा, तहसील थाना अमरपाटन जिला सतना (म0प्र0)

अधि० श्री सुरेश प्र०
पाठक डाटा पेशा/1-12-17

--निगरानीकर्ता

दस्तावेज आदि कोट
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
(सर्किट कैम्प रीवा) बनाम

1. ददईराम तनय साधूराम
2. इन्द्रपती तनय ददईराम ब्राम्हण
3. रामनरेश तनय ददईराम ब्राम्हण
4. बेवा सुखमन्ती तनय ददईराम ब्राम्हण
5. कामता प्रसाद तनय ददईराम ब्राम्हण
6. उमाशंकर तनय ददईराम ब्राम्हण
7. चन्द्रभान प्रसाद तनय दुर्गा प्रसाद ब्राम्हण

सभी निवासी ग्राम डोमा तहसील अमरपाटन जिला सतना म0प्र0

8. शासन म0प्र0

--गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी बिरुद्ध निर्णय व आदेश दिनांक 12.09.17
जो न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर महोदय सतना म0प्र0
द्वारा प्रकरण क्रमांक 13/2012-13 मे पारित किया
गया।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.सं.

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है:-

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर सतना द्वारा पारित आदेश दिनांक
12.09.17 विधि प्रकिया के विपरीत, गलत, अनियमित व अवैधानिक होने
से निरस्त किए जाने योग्य है।

(Signature)

(Signature)
प्र.०

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक II/निग0/2017/4803

जिला-सतना

सुशीलचन्द मिश्रा/ ददई राम वर्मा

(1)	(2)	(3)
<p>05/8/19</p> <p>M.</p>	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेश पाठक उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला सतना के प्रकरण क्रमांक 13/पुनिरक्षण/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 12.09.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.10.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p>(महेशचन्द्र चौधरी) सदस्य</p>	